रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221685 CG-DL-E-11092020-221685

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] No. 358] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942

### यूको बैंक अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

### यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976

# सं. एनडीजेडओ/सतर्कता VIG/2020-21/143.— उपविनियम 6(3) मे दिये गये पुरानें तथ्यों को हटाकर निम्नलिखित नये तथ्यों को जोड़ा जाएगा -

6(3) जहां जांच किए जाने का प्रस्ताव है वहाँ अनुशासन प्राधिकारी, अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी के विरुद्ध अभिकथनों के आधार पर निश्चित और सुभिन्न आरोप विरचित करेगा और उन अभिकथनों के विवरण, दस्तावेजों की सूची, जिस पर वे निर्भर हैं, की प्रति के साथ एवं गवाहों की सूची, यदि कोई हो, सिहत आरोप की मदें, जिन पर वे आधारित हैं, अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी को लिखित रूप में संसूचित की जाएंगी तथा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय (15 दिन से अनिधिक) के भीतर या इतने बढ़ाए गए समय के भीतर जो उक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करें।

परंतु किसी भी परिस्थिति में, अपने बचाव हेतु लिखित कथन दर्ज करने के लिए समय-सीमा आरोप की मदों की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन से अधिक नहीं होगी।

परंतु जहां भी इन दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करना संभव न हो, अनुशासन प्राधिकारी इस परिप्रेक्ष्य में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी को इन दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति प्रदान करेगा।

सुजॉय दत्ता, उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख [विज्ञापन-III/4/असा./215/2020-21]

4188 GI/2020 (1)

## UCO BANK NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2020

#### UCO BANK OFFICER EMPLOYEES' (DISCIPLINE AND APPEAL) REGULATIONS, 1976

No. NDZO/सतर्कता VIG/2020-21/143.— The existing contents of Regulation 6 (3) shall be replaced by following new contents.

**6** (3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall, frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer Employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with copy of such documents and list of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer Employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days), or within, such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence.

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge.

Provided that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, Disciplinary Authority shall allow the Officer Employee, Inspection of such documents within a time specified in this behalf.

SUJOY DUTTA, Dy. General Manager & Zonal Head

[ ADVT.-III/4/Exty./215/2020-21]